



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

क्रमांक : 003 / 2002 / का.आ. / 02- / 2020

दिनांक 15.07.2020

## कार्यालयादेश

वर्धा जिले में कोरोना (कोविड-19) संक्रमितों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के समस्त विभागीय/प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत के आधार पर रहेगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी, वर्धा द्वारा जिन क्षेत्रों को जितनी अवधि के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया है/किया जाएगा, उस क्षेत्र में रहने वाले अधिकारी/कर्मियों उस अवधि में घर से ही कार्य करेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़

कादर नवाज़ खान  
(कार्यकारी कुलसचिव)

प्रति :

1. विश्वविद्यालय के समस्त विभागीय प्रमुख एवं प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी
2. कुलपति कार्यालय
3. प्रतिकुलपति कार्यालय
4. वित्ताधिकारी कार्यालय
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट